

मुंसा, 21
2017

राजस्व लोक अदालत - 2017

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

SIR

श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल के पिता रामगोपाल के पौत होने पर विरासत का नाम
श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल के नाम है। जो मालत डी अतः तब नाम श्री श्री मुंसा डा०
काम मुंसा डा० रामगोपाल दिया जाना उचित है।

ग्राम - मोड़िया (वाला) से जमावरी स. 2070-2073 की खता
स. 22 में उपरोक्त भूडू दिया जाना उचित है।

मुंसा
ज. 2070-73 की खता
स. 22 में
उपरोक्त भूडू
दिया जाना
उचित है।
17/5/17

उप जमावरी स. 2070-73 की खता स. 22 में -
श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल से खता स. 22 में -

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल से खता स. 22 में -
उप जमावरी स. 2070-73 की खता स. 22 में -

श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल से खता स. 22 में -
उप जमावरी स. 2070-73 की खता स. 22 में -

मुंसा
ज. 2070-73 की खता
स. 22 में
उपरोक्त भूडू
दिया जाना
उचित है।
17/5/17

श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल से खता स. 22 में -
उप जमावरी स. 2070-73 की खता स. 22 में -
श्री श्री मुंसा डा० रामगोपाल से खता स. 22 में -
उप जमावरी स. 2070-73 की खता स. 22 में -

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
सपोटरा जिला-करौली

रिपोर्ट पटवारी, SDR, तहसीलदार, पुस्तक डल्ले के नाम से
पुस्तक के अन्तर्गत दावा उचित है। पुस्तक डल्ले के नाम से
पुस्तक के अन्तर्गत दावा उचित है। पुस्तक डल्ले के नाम से
पुस्तक के अन्तर्गत दावा उचित है। पुस्तक डल्ले के नाम से

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोट्टा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजपाल यादव R.A.S. उप खण्ड अधिकारी सपोट्टा

मुन्ना पुत्र रामबिलास जाति उनवान लेण्ड होल्डर जदिये वडसीलदार
श्रीना निवासी चौडियाखाला बनाम तहसील सपोट्टा जिला खैली
तहसील सपोट्टा जिला खैली राजस्थान
दावा बाबत धोषा.प.प. अन्तर्गत सारा 88. R.T. Act.


मुकदमा नम्बर :- 21/17

निर्णय दिनांक :- 17.05.2017.

वादी की ओर से मुन्ना की व प्रतिवादी की ओर से लेण्ड होल्डर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2017 को श्री राजपाल यादव (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी, सपोट्टा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वाकी डिक््री किया जागा है वादी का सही नाम वृजमोहन पुत्र रामबिलास के स्थान पर मुन्ना पुत्र राम बिलास जाति श्रीना घोषित किया जागा है। वडसीलदार सपोट्टा की वादी की सदखोतेदारी की आराजी संख्या नं० 83, 84, 86, 87, 57, 59, 61, 62, 63, 82, 67 को वृजम चौडियाखाला वडसील सपोट्टा में वादी का सही नाम मुन्ना पुत्र राम बिलास जाति श्रीना दुस्त जिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(पीठासीन अधिकारी (SDM))
राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा
सपोट्टा जिला क्षेत्री (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड	जोड